संख्या-96/2018/2447/24-1-18-54पी/02टी0सी-1

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 19 सितम्बर, 2018**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1269/मु0म0प्र0(वित्त)/विप्र/आय-व्ययक/341/2018-19, दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-71/2018/1451/24-1-18-54पी/02 टी0सी0-I, दिनांक 01 जून, 2018 जिसके द्वारा राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपये 4200,00,00,000/- (रूपये चार हजार दो सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 3150,00,00,000/- (रूपये तीन हजार एक सौ पचॉस करोड़ मात्र) में से जून, 2018 में रूपये 700,00,00,000/- (रूपये सात सौ करोड़ मात्र) एवं अवशेष धनराशि रूपये 2450,00,00,000/- (रूपये दो हजार चार सौ पचॉस करोड़ मात्र) में से जुलाई, 2018 में धनराशि रूपये 290,00,00,000/- (रूपये दो सौ नब्बें करोड़ मात्र) तथा अगस्त, 2018 से मार्च, 2018 तक प्रति माह धनराशि रूपये 270,00,00,000/- (रूपये दो सौ सत्तह करोड़ मात्र) को आठ समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 01 जून, 2018 को एतदद्वारा संशोधित करते हुए यह आदेश दिये जाते हैं कि कुल मूल बजट एवं अनुपूरक मांग में प्राविधानित धनराशि रूपये 4200,00,00,000/- (रूपये चार हजार दो सौ करोड़ मात्र) एवं धनराशि रूपये 1500,00,00,000/- (रूपये एक हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) अर्थात कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 5700,00,00,000/-(रूपये पॉच हजार सात सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 3120,00,00,000/- (रूपये तीन हजार एक सौ बीस करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 214,00,00,000/- (रूपये दो सौ चौदह करोड़ मात्र) माह सितम्बर, 2018 में एवं धनराशि रूपये 484,00,00,000/-(रूपये चार सौ चौरासी करोड़ मात्र) की माह अक्टूबर, 2018 से माह फरवरी, 2019 तक पॉच समान मासिक किश्तो में तथा अंतिम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 486,00,00,000/-(रूपये चार
सौ छियासी करोड़ मात्र) को मार्च, 2019 में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्य पाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 19 अप्रैल, 2018 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक ''2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 194 /दस-2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 96 /2018/2447(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in